न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 204/2018

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. दयाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति–सीरवी,निवासी–निम्बेड़ा कलां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.26/07/2018

उपस्थितः–

1. श्री, सुरेश चौधरी अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/02/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बस्सी उर्फ चैनपुरा पटवार हल्का–सेवरियां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली ने दिनांक 07/10/2011 को रजिस्ट्री के जरिये खरीद की थी। पंजीयन तहसील कार्यालय में हुआ है। खातेदार विक्रेता भगवानसिंह पुत्र नीम्बसिंह, छोटी बेवा बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह, चौथी नाबालिग व सांवरसिंह पुत्र बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह जो कि नाबालिग है। तथा मतिया पुत्री बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह जो कि बालिग है। जातियान रावत निवासीगण–बस्सी उर्फ चैनपुरा से जमीन खरीद की थी। खसरा नम्बर 286 रकबा 4–08 बीघा, खसरा नम्बर 287 रकबा 1–01 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 1–02 बीघा, खसरा नम्बर 290 रकबा 1–09 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 2–07 बीघा, खसरा नम्बर 294 रकबा 0–17 बीघा, खसरा नम्बर 295 रकबा 0–15 बीघा, खसरा नम्बर 296 रकबा 7–02 बीघा, खसरा नम्बर 297 रकबा 2–08 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 1–13 बीघा, खसरा नम्बर 299 रकबा 3–04 बीघा, खसरा नम्बर 300 रकबा 1–19 बीघा, खसरा नम्बर 300/317 रकबा 1–02 बीघा, खसरा नम्बर 303 रकबा 2–15 बीघा, खसरा नम्बर 292 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 288 रकबा 2–02 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 1–13 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 2–00 बीघा उक्त वर्णित भूमि खातेदार विक्रेता का राजस्व रेकर्ड के आधार पर 1/8 का 1/2 वां हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में 1/16 वां का बैचान कर दिया था। बैचान करने के बाद खातेदार विक्रेतागण ने भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया था। बिक्रित भूमि से आजतक वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने एवं ऋण संबंधित बैंक से ऋण प्राप्त कर भूमि सुधार के लिये पटवारी हल्का सेवरियां को कहा कि बैचानकर्त्ता वादी के पक्ष में तकमील कर दिया, उसकी नकल जमाबंदी हेतु दिनांक 27/04/2018 को गया था। पटवारी ने कहा कि जमाबंदी में आपका नाम दर्ज नहीं है और खातेदार भगवानसिंह वगैरा का नाम है। इस पंजीयन का नामान्तरण नहीं हुआ था। वादी ने पटवारी हल्का को कहा कि रजिस्ट्री की नकल पेश की गई तो पटवारी ने कहा कि यह पंजीयन दिनांक 7/10/2011 का है। तहसीलदार साहब ओदश करेंगे तो नामान्तरणकरण भर दूंगा। तहसीलदार जैतारण के पास उक्त रजिस्ट्री का नामान्तरणकरण भरने बाबत् कहां तो वादी को यह कहां कि राजस्व अभियान में भर देंगे। राजस्व अभियान समाप्त हो गया और इसका नामान्तरणकरण नहीं भरने से वादी को बैंक ऋण प्राप्त करने में असुविधा रहेगी। व राजस्व अभिलेख में वादी का नाम ही दर्ज नहीं होगा तो वादी को असीम क्षति होगी। यह बैचान पंजीयन सुदा है और दिनांक 7/10/2011 से कब्जा काश्त वादी का ही है। बिनाय वाद दिनांक 27/04/2018 को किया गया था। पटवारी ने कहा कि रजिस्ट्री पुरानी होने से तहसीलदार जैतारण के आदेश पर ही नामान्तरणकरण भर देंगे। यह वाद अन्दर म्याद है और आपके क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने माफिक राजस्व रेकर्ड इन्द्राज स्वीकार है। अन्य तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करे। राजस्व रेकर्ड का इन्द्राज/अंकन स्वीकार है। पटवारी हल्का सेवरियां ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख में वर्णित भूमि में बेचानकर्त्ता भगवानसिंह पुत्र निम्बसिंह के अलावा अन्य बेचानकर्त्ता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अतः विक्रय विलेख में वर्णित

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

विक्रेता के नामों में भिन्नता है। विक्रेतागण ने विरासत का नामान्तरणकरण दर्ज करवाये बिना सीधे ही बाबुसिंह के कायम मुकाम द्वारा बेचान करवाया गया है। जिससे पंजीबद्ध दस्तावेज का नामान्तरणकरण दर्ज नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अवगत करवाया गया कि पंजीयन दस्तावेज व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होने से नामान्तरणकरण दर्ज नहीं हो सकता। उक्त बिन्दु कानूनी है जिसमें जबाब दावा की आवश्यकता नहीं है। इसमें वादी द्वारा इस्तदुआं की गई है। इसमें वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं पंजीयन दस्तावेज में भिन्नता है। प्रार्थना पत्र सा.मि. हो। तहसीलदार जैतारण से मृतक बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह फौत के वारिसानों की जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट में जो वारिसान की रिपोर्ट पेश की है उक्त वाद में जो बैचान किया है वे ही बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह के वारिसान है। बहस वकील वादी एवं सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली पत्र दस्तावेजात एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस पर गौर किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी में खातेदार बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिह के वारिसानों एवं भगवानसिंह पुत्र निम्बसिंह के 1/16 वें हक हिस्से की आराजी वादी ने जरिये विक्रय विलेख पंजीबद्ध दस्तावेज से खरीद की है। वादी द्वारा विक्रय विलेख पंजीबद्ध दस्तावेज से उक्त आराजी को खरीद किया है। और मौके पर कब्जा होना भी जाहिर किया है। खातेदार बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह के विधिक वारिसानों एवं भगवानसिंह पुत्र निम्बसिंह से जरिये विक्रय विलेख पंजीबद्ध दस्तावेज से उक्त आराजी को खरीदने से वादी खातेदार काश्तकार घोषित होना चाहता है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बस्सी उर्फ चैनपुरा पटवार हल्का–सेवरियां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 286 रकबा 4–08 बीघा, खसरा नम्बर 287 रकबा 1–01 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 1–02 बीघा, खसरा नम्बर 290 रकबा 1–09 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 2–07 बीघा, खसरा नम्बर 294 रकबा 0–17 बीघा, खसरा नम्बर 295 रकबा 0–15 बीघा, खसरा नम्बर 296 रकबा 7–02 बीघा, खसरा नम्बर 297 रकबा 2–08 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 1–13 बीघा, खसरा नम्बर 299 रकबा 3–04 बीघा, खसरा नम्बर 300 रकबा 1–19 बीघा, खसरा नम्बर 300/317 रकबा 1–02 बीघा, खसरा नम्बर 303 रकबा 2–15 बीघा, खसरा नम्बर 292 रकबा 2–00 बीघा, खसरा नम्बर 288 रकबा 2–02 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 1–13 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 2–00 बीघा भूमि में खातेदार भगवानसिंह पुत्र निम्बसिंह एवं बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह के वारिसान छोटी बेवा बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह, मतिया चौथी पुत्रियां बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह सांवरसिंह पुत्र बाबुसिंह उर्फ लक्ष्मणसिंह ने अपने 1/16 वें हिस्से का बैचान वादी को करने से इनके स्थान पर वादी दयाराम पुत्र चुन्नीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला. पाली)